

अनुबंध - जी

(विधिवत दो गवाहों के साक्ष्य द्वारा 10 रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

वचन लेना

मैं/हम _____ सुपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____
निवासी _____, जिन्हें
इसमें इसके बाद निष्पादी कहा गया है, निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं/करते हैं:-

1. कि निष्पादी (निष्पादियों) संपत्ति सं. _____ का पट्टाधारी है/सह-पट्टाधारी हैं।
2. कि निष्पादी (निष्पादियों) ने उल्लिखित संपत्ति के संबंध में लीजहोल्ड अधिकारों के फ्रीहोल्ड अधिकार में अंतरण के लिए भूमि और विकास अधिकारी, निर्माण भवन, नई दिल्ली के पास आवेदन किया है।
3. निष्पादी (निष्पादियों) एतद्वारा वचन देता है/देते हैं कि उल्लिखित संपत्ति का उपयोग पट्टे की शर्तों/मास्टर प्लान के नियमों के अनुसार सख्ती से किया जाएगा और इसे पट्टेधारी द्वारा फ्रीहोल्ड अधिकारों में अंतरण के बाद भी किसी अन्य प्रयोजन अथवा अप्रासंगिक उपयोग, चाहे जो हो, के लिए नहीं किया जाएगा।
4. निष्पादी (निष्पादियों) वचन देता है/देते हैं कि वह/वे किसी सरकारी/सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण नहीं करेगा/करेंगे।
5. निष्पादी (निष्पादियों) इससे अवगत है/हैं कि यदि संपत्ति का दुरुपयोग किया जाता है अथवा मैं/हम किसी सरकारी/सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण करता हूं/करते हैं, तो कन्वेस डीड मंसूख/रद्द की जा सकती है।

निष्पादी (निष्पादियों)

गवाह:

- 1.
- 2.